BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 24 अक्टूबर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त श्याम सुन्दर उर्फ श्याम पुत्र राजपाल निवासी ग्राम परौरा थाना बरला जनपद अलीगढ द्वारा वर्ष-2019 में थाना डिबाई क्षेत्रान्तर्गत मौ0 पुरकला निवासी प्रमोद कुमार की हत्या कर शव को जंगल में फैंक देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 07.02.2019 को थाना डिबाई पर मुअसं– 55/2019 धारा 302 भादवि पजीकृत किया गया जिसमे दिनांक 12.05.2019 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 10 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 24.10.2024 को न्यायाधीश श्री विनित चौधरी (मा0 न्यायालय एडीजे-अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त श्याम सुन्दर उर्फ श्याम को आजीवन कारावास व 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री नितिन त्यागी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर